न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः–212/2015 (2015/00128)223/केकड़ी

1. मोहित कुमार पुत्र बजरंग लाल
2. हितेश कुमार पुत्र बजरंग लाल जाति खाती निवासी काचरिया तहसीलकेकड़ी जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती रामप्यारी
2. श्रीमती गीता
3. श्रीमती सीता सभी पुत्रियॉ भुवाना जाति खाती निवासी काचरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
4. बजरंग लाल पुत्र भुवाना मुतबन्ना छोगा जाति खाति निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015, वाद संख्या 220/2004.

उपस्थितः–

1. श्री शिव प्रकाश चौधरी एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री आर.पी.शर्मा एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 की ओर से।
3. श्रीधर्मवीर चौधरी, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–16.04.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05. 2015, वाद संख्या 220/2004 के विरूद्ध प्राप्त हुई है।
2. अपील संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अपने पिता भुवाना व बजरंग के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी मुतनाजा जो वादपत्र में दर्ज है वह वादीगण के पिता भुवाना की पैत्रृक सम्पति है जिसमें वादीगण का अधिकार है किन्तु भुवाना के मृत्यु के पश्चात आराजी मुतनाजा का समस्त खाता बजरंग के नाम गलत तौर पर दर्ज हो गया है। अतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 व 4 जो की भुवाना के जाईज वारिस है उन्हे प्रत्येक को 1/4 का खातेदार घोषित किया जाकर आराजी मुतनाजा का बंटवारा कराया जावें एवं प्रतिवादी को वादी के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप न करने हेतु पाबंद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र को दिनांक 27.05.2015 को स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया एवम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए । तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि मृतक भुवाना ने आराजी मुतनाजा के बाबत् एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 02.12.2004 को निष्पादित कर उनके द्वारा छोडी गई खातेदारी भूमि का खातेदार घोषित किया है जिस तथ्य की पूर्ण जानकारी वादीगण व अन्य प्रतिवादीगण को थी किन्तु उन्होने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना गैर कानूनी तौर पर आराजी मुतनाजा के 1/4 हिस्से की डिक्री वादीगण संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी संख्या 01व 04 के पक्ष में करवा दी है जबकि वादी व प्रतिवादीगण का आराजी मुतनाजा पर न तो कोई हक है व न ही कोई कब्जा है। अपीलांटस वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार थे फिर भी वाद पत्र में पक्षकार बनाये बिना वाद को डिक्री किया गया है। विपक्षी ने आराजी मुतनाजा को किसी भी प्रकार से पैत्रृक सम्पति होना साबित नहीं किया है व न ही कोई राजस्व रिकार्ड पेश किया है। अतः मात्र वादीगण के बयान के आधार पर ही आराजी मुतनाजा को पैत्रृक सम्पति मानकर भुवाना की लड़कियों व पुत्र को 1/4 हिस्सा प्रत्येक को देने के जो आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो वाद में अपनी तनकीयात कायम की है व न ही प्रतिवादी की साक्ष्य ली गई है जो की कानूनी प्रक्रिया के तहत् आवश्यक था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 को निरस्त किया जावें तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित करने का आदेश पारित किया जावे ताकि अपीलांट अपनी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रसतुत कर सकें ।
5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौरान बहस निवेदन किया कि भुवाना पुत्र कल्याण जाति खाती निवासी काचरिया के एक पुत्र बजरंग व तीन पुत्रियॉ रामप्यारी, गीता व सीमा है तथा मृतक भुवाना के वारिसान हैं इनके अलावा अन्य कोई वारिस नही है। भुवाना की मृत्यु हो चुकी है। मृतक भुवाना की पत्नि पूर्व में ही फोत हो चुकी है जिसकी फोती इन्द्राज में मृतक भुवाना की पुत्रियॉ के नाम नामान्तकरण नहीं होकर केवल मात्र बजरंग लाल के नाम खातदेारी गलत अंकन हो गई जिसके लिए वादीगण ने दावा पेश किया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णित किया है। विवादित भूमि वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 02 व 4 का 1/4 हिस्सा निहित था उसी मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित नही की है। लोक अदालत की भावना से किये गये निर्णय व डिक्री की अपील नहीं की जा सकती है। अपीलांटस द्वारा अपील में प्रस्तुत वसीयतनामा जो पेश किया है वह बिल्कुल फर्जी हैं क्योंकि यह वसीयतनामा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के दो माह पश्चात की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावे के विचाराधीन रहते हुए भुवाना की मृत्यु हो चुकी थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस वाद पत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार संयोजित हो सकते थे किन्तु वहॉ पर उनके द्वारा चाराजोही नही गई। उन्होने न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् की बाहुल्यता बढ़ाने हेतु वादी संख्या 01,02 व 02 0 4 को हैरान, परेशान करने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 लोक अदालत का निर्णय है जिसकी विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। हम सर्वप्रथम हम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते प्रदान किये जाने अनुमति अपील प्रस्तुत करने हेतु का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलांटस का कथन है कि आराजी मुतनाजा मृतक भुवाना की खातेदारी भूमि है जिन्होने अपने जीवन काल में आराजी मुतनाजा की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 02.12.2004 को प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित कर प्रार्थीगण को उनका वसीयती उत्तराधिकार घोषित कर दिया था व भुवाना की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पति में प्राथीगण का एक मात्र अधिकार है किन्तु भुवाना की मृत्यु होने पर विपक्षी वादीगण ने प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना गैर कानूनी तौर पर राजस्व कैम्प में भुवाना के पुत्रियों व पुत्र के नाम के 1/4 भाग के खातेदार घोषित करवा दी है। प्रार्थीगण विवादित आराजी के हितबद्ध पक्षकार हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना चाहते है इसलिए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि भुवाना की मृत्यु दौराने वाद ही हो गयी थी प्रार्थीगण/अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया हैं केवल वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02, 04 को हैरान व परेशान करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है। इसलिए प्रार्थना पत्र एवं अपील को खारिज किया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया है एवं प्रस्तुत वसीयतनामा की फोटो प्रति का अवलोकन किया गया है। बाद अवलोकन अपीलांट ने भुवाना की वसीयत के आधार पर यह अपील पेश की है। हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अपीलांट अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अपनील अपील में कथन किया कि खातेदार भुवाना द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में अपने जीवन काल में दिनांक 02.12.2004 को पंजीबद्ध वसीयतनामा अपीलांट के पक्ष में तहरीर करवाया था। खातेदार भुवाना की मृत्यु हो चुकी हैं मृत्यु के उपरान्त वसीयत प्रभावी होकर अपीलांट को अपीलाधीन भूमियों में काश्तकारी हक प्राप्त हो चुके है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना एवं तथ्य छिपाकर एक तरफा में वाद डिक्री करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलाकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि विवादित भूमियों के सम्बन्ध में तथाकथित वसीयत के आधार पर आवश्यक पक्षकार है जिन्हे सुना जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने से अपीलांट अपना पक्ष नहीं रख सका था। वसीयत के आधार पर अपीलांट को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इसका निर्णय वाद में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका था। हम अपीलांट को अपीलाधीन को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना एवं वसीयत को सिद्व किये जाने का अवसर दिया जाना न्यायोचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार

अपील अपीलांट अपास्त किये जाने योग्य होकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2015 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचन के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

16/4/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. आदेश आज दिनाक 16.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

16/4/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर